न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिप्रा जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–378/2021

निर्णय दिनांक :–11 .10.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

तहसीलदार दूनी , जिला टोंक राज0

– प्रार्थी –

उपस्थिति :–
तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर. एक्ट

पत्रावली प्रशासन गांवो के संघ केम्प ग्राम पंचायत चन्दवाड़ में वास्ते निर्णय पेश हुई। तहसीलदार दूनी द्वारा ग्राम चन्दवाड़ पटवार हल्का चन्दवाड़ तहसील दूनी के **खसरा नम्बर** 1450 में से ग्राम [illegible] से कल्याणपुरा जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट–'ए' एवं अभिशंषा तहसीलदार दूनी द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र में अंकित ख. नं. सिवायचक काबिल काश्त होने व अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं होने के कारण तलबी जारी नहीं की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

तहसीलदार दूनी ने कैम्प में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना कथन किया कि वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर पर किसी भी दीगर व्यक्ति का कब्जा नहीं है और उक्त खसरा नम्बरो में रास्ता बना हुआ है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त खसरा नम्बरो में से रास्ते के रूप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु आदेशित करे।

तहसीलदार दूनी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसमें प्रार्थी तहसीलदार दूनी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार..दूनी......को आदेशित किया जाता है कि वाके **ग्राम** चन्दवाड़ पटवार हल्का..चन्दवाड़...... तहसील दूनी जमाबन्दी सम्वत 2077 स्थायी में दर्ज ख. नं. 1450 **रकबा** 0.26 **है0** में से **0.08 है0** भूमि जो कि सिवायचक बंजड़ भूमि को नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा व ट्रेस अनुसार गैर मुमकिन रास्ता अनुमत किया जाता है। तहसीलदार दूनी निर्णयानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned by CamScanner